



जिला निबंधन कार्यालय, Aurangabad

ऋण अवभार प्रमाण-पत्र



प्रमाण पत्र सं. 00000838

आवेदन संख्या 251100049514

चूंकि श्रीमती/श्री Rajmuni Devi B.ed College ने Bandhan Bank, AURANGABAD को आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय :-

क्र०सं०	अंचल	मौजा / वार्ड नं.	खाता सं०	खेसरा सं०	मकान सं०	फ्लैट सं०	रकबा	माप की इकाई
1	Aurangabad Rural (Aurangabad)	Manjurahi	18	998,999			75.0000	Decimal

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2015 से ता० 04/08/2025 तक तालाशी की गयी और इसकी तालाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्र०सं०	कार्यालय	विक्रेता का नाम	दस्तावेज सं०	निबंधन की तिथि	दस्तावेज का प्रकार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
1	Aurangabad	Baikuntha Singh	13994	02-11-2015	Sale/Conveyance	186	2015	1	10

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

तालाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया:-

नाम :- Sandeep Kumar Sinha पदनाम :- ऑपरेटर

तालाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम :- Daya Sagar Kumar Arya पदनाम :- सहायक

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, Aurangabad

तारीख :- 08/08/2025

SD/-

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाए गये हैं। (यदि आवेदक द्वारा दिए गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे)।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इंडेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बही और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायगी।

(क) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो

जिला निबंधन कार्यालय, Aurangabad

पत्रांक 838 दिनांक 08/08/2025

Bandhan Bank, AURANGABAD के पत्रांक 1 दिनांक 04/08/2025 के आलोक में प्रेषित।

SD/-

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।